



2026:AHC:2375

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19496 वर्ष 2025

सविता

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:

मोहम्मद उमर खान

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद उमर खान और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. अनिवार्य रूप से, वर्तमान रिट याचिका में दिनांक 25.09.2018 के कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई है, जो रिट याचिकाकर्ता को जारी किया गया था। वर्तमान रिट याचिका इस न्यायालय के समक्ष दिसंबर 2025 के महीने में प्रस्तुत की गई है। 7 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो विलंब और शिथिलता को क्षमा करने का कोई आधार दर्शा सके।
3. जो भी हो, रिट याचिकाकर्ता के लिए कारण बताओ नोटिस का उत्तर देना हमेशा खुला है, यदि उन्होंने उत्तर नहीं दिया है, और एक बार ऐसा करने के बाद, आदेश पारित किए जाएंगे, यदि पहले से पारित नहीं किए गए हों।
4. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

7 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)